

राजस्थान विधान सभा पेंशनर्स सदस्य चिकित्सा रियायती योजना के अन्तर्गत ₹ 5,000/- एवं (75 वर्ष से अधिक) ₹ 10,000/- राशि सीमा से अधिक व्यय होने पर राशि सीमा बढ़ाने बाबत प्रार्थना पत्र

सचिव

राजस्थान विधान सभा

जयपुर।

श्रीमान

कृपया निशुल्क दवाईयां की पूर्ति हेतु निर्धारित सीमा (राजस्थान विधान सभा पेंशनर्स सदस्य चिकित्सा रियायती योजना के अन्तर्गत) सीमा राशि बढ़ाने की कृपा करें। मेरे चिकित्सा संबंधी विवरण एवं चिकित्सक की अभिशंसा निम्न प्रकार से है: -

भाग - I (पेंशनर द्वारा भरा जायेगा)

1. नाम :
2. पता मय टेलीफोन नं. :
3. आई.डी. संख्या :
4. पेंशन की राशि :
5. किस विधान के सदस्य थे :
6. अन्य स्रोतों की आय :
7. बीमारी की प्रकृति :
8. चिकित्सा किये जाने वाले चिकित्सक का नाम एवं पद :
9. चिकित्सक द्वारा कब से इलाज किया जा रहा है :
10. निर्धारित सीमा राशि का प्रार्थना पत्र की दिनांक तक व्यय राशि स्वीकृत राशि
11. मेरी जानकारी में उपरोक्त वर्णित सूचनाएँ सही है।

हस्ताक्षर पेंशनर
आई.डी. संख्या

भाग - II (चिकित्सक द्वारा भरा जायेगा)

1. नाम व रोग की प्रकृति :
2. कब से आपके द्वारा उपचार किया जा रहा है :
3. संभावित उपचार की अवधि :
4. स्वीकृत दवाईयां जो आप द्वारा सलाह की गई है :
5. दवाईयों के मूल्य अनुसार सम्भावित मासिक व्यय :

हस्ताक्षर चिकित्सक एवं मोहर

नोट -

1. आवेदन पत्र के सभी कॉलम की पूर्ति की जावे एवं चिकित्सक की अभिशंसा एवं मोहर लगी हुई हो।
2. डायरी के प्रथम एवं नवीनीकरण पृष्ठ की फोटो प्रति अवश्य सलंगन करें।
3. अन्तिम बिल की फोटो प्रति अलावा डायरी के अन्तिम पृष्ठ की फोटो प्रति जहाँ राशि लिखी गई सलंगन करें।